न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/15/2017

वउनवान

1. माखनदेवी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

----- सायला

बनाम

1. मायादेवी पत्नी सेडूराम जाति [illegible] निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर जिला अलवर
2. राधाकृष्ण पुत्र घीसाराम जाति मीना निवासी नगलाछीतरसिंह तज सौंखरी तहसील कठूमर

---- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट - वकील सायला

श्री तेजसिंह राठी एडवोकेट- वकील गैरसायल सं01

आदेश

दिनांक 18.12.2017

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 691 रकवा 3.66 हे. ग्राम नगलमाधोपुर तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी अभी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। उक्त सायला के 1 बटे 8 हिस्सा गैरसायला संख्या 1 के 3 बटे 8 हिस्सा गैरसायल संख्या 2 के 1 बटे 2 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर सायला एंव गैरसायलान शामलात मे काविज रहकर काश्त करते है। अव विवादित आराजी पर पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में झगडा होता है तथा शामलात में काश्त करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। सायला

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहती है लेकिन गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है। गैरसायलान जबर्दस्त व लडाका व्यक्ति है जो सायला को उनके हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। विवादित आराजी से 500 मीटर की दूरी पर गैरसायला सं01 ने ईट भट्टा लगवाया हुआ है। जिसने सायला को गैरसायल संख्या 2 की सहमति से कहा कि में ईट भट्टा चलाने हेतु विवादित आराजी से मिट्टी खुदवाउॅगी हमारे पास विवादित आराजी के अलावा कहीं ईट बनवाने हेतु मिट्टी नहीं है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना-पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 691 रकवा 3.66 हे. वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर में सायला के 1 बटे 8 हिस्सा के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने व इसमें से मिट्टी खोद कर सायला को जवरन वेदखल ना करने वावत गैरसायलान को पावन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल संख्या 2 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 15.03.2017 का एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। गैरसायला सं01 मय वकील उपस्थित आयीं। गैरसायला ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायला ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। विवादित आराजी अवट ना होकर वंटी हुइ है। उक्त आराजी पर शामलात में काश्त नहीं हो रही है बल्कि काफी समय पूर्व से बंटी हुई आराजी है तथा सायला एंव गैरसायलान उक्त आराजी पर मुताविक घरेलु तकासमा काविज रहकर काश्त करते है। मुताविक वंटवारा सायला एंव गैरसायलान ने विवादित आराजी के चार खेत बना रखे है तरफ दक्षिण को 3 बटे 8 हिस्सा गैरसायल संख्या1के हक हिस्सा की है तथा तर्फ उत्तर को गैरसायल संख्या 2 के 1 बटे 2 हिस्सा की है जिसके गैरसायल संख्या 2 ने दो खेत बना रखे है तथा गैरसायल संख्या 2 के संटवा उत्तर दक्षिण के मध्य में सायला का 1 बटे 3 हिस्सा का अलग से खेत है जिसकी अलग से डौल डली हुई है। वाद घरेलु वंटवारा से ही उक्त आराजी पर सायला एंव गैरसायलान अपने अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पर घरू वंटवारा के अनुसार काश्त हो रही है। गैरसायला सं01 ने अपने हक हिस्सा की आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अच्छे किस्म के खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। सायला के मन मे बेईमानी आ गयी है। गैरसायला ने सायला को कोई धमकी नहीं दी। गैरसायला को अपने हिस्सा के खेत से मिट्टी उठाने का पूरा अधिकार है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम नगलामाधोपुर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित आराजी अवट है। सायला कानूनी तकासमा कराना चाहती है। गैरसायलान शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये विवादित आराजी में से मनचाहे स्थान से ईंट थपाई के लिये मिट्टी खोदना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता-फैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायला सं01 ने अधिवक्ता सायला के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी काफी अर्सा पहले की वंटी हुई है। अवट नहीं है। मुताविक घरू वंटवारा अलग अलग काश्त हो रही है। गैरसायला सं01 को अपने हिस्सा की आराजी से मिट्टी खोदने का अधिकार है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। एक सहखातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता गैरसायला ने अपने कथनों की पुष्टि में कानूनी नजीर आर आर डी 14.11.2008 पेज 762 से 765 की छाया प्रति पेश की है। जो संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायला को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :-

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना-पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाव दर0 जमाबन्दी संवत् 2071 ला0 2074 वाके ग्राम नगलामाधोपुर व कानूनी नजीर की छाया प्रति के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 691 रकवा 3.66 खाता संख्या 153 वाके ग्राम नगलामाधोपुर सायला माखनदेवी व गैरसायलान के नाम मुताविक हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। विद्वान अधिवक्ता का कथन कि विवादित आराजी मौके पर वंटी हुई है लेकिन इस तथ्य की पुष्टि में गैरसायला द्वारा पत्रावली पर कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी पर मुताविक हिस्सा शामलात में काश्त होने का अनुमान किया जाता है। विना तकासमा कराये शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में एक दूसरे सहकाश्तकार को दखलनदाजी व काश्त में मजाहमत करना या किसी भाग में से मिट्टी उठाना गैरकानूनी है। गैरसायला संख्या 1 द्वारा पेश छाया प्रति कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। यदि गैरसायलान ने सायला के शामलात में कब्जे काश्त में बाधा पहुॅचाई या विना तकासमा कराये खेत के किसी भाग से मिट्टी उठाई तो नुकशान क्षति व असुविधा सायला को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान, क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नही है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जवाव गैरसायला व कानूनी नजीर के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना-पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में ही सावित है। अतः प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 691 रकवा 3.66 हे. वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर में एक दूसरे के हिस्से एंव कब्जा काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत नहीं करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 18.12.2017 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)